न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
लोक अदालत कैम्प कोर्ट–आलमास तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–254/2016 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री उगमा पिता मांगू भील, उम्र बालिग निवासी सोदानपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ————वादी

बनाम

1–श्रवण पिता मांगू भील, उम्र बालिग निवासी सोदानपुरा तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) ————प्रतिवादीगण

————————

वादी की ओर से श्री – एडवोकेट और प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री – एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 11.5.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि – और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम सोदानपुरा की आराजी नम्बर 44, 45, 47, 48, 61, 62, 73, 74, 78, 213, 214, 430/211 कुल किता 12 रकबा 15 बीघा 16 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा है और जहॉ वादी काबिज है तद्नुसार विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री वादी के पक्ष में व प्रतिवादी श्रवण के विरूद्व पारित की जाती है । साथ ही स्थायी निषेधाज्ञा से दोनों पक्षों को न्याय हित में प्रतिबंधित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से की भूमि का उपयोग–उपभोग शांतिपूर्वक करते हुये मिट्टी की खुदाई कर मिट्टी विक्रय करने से दोनों पक्ष पांबद रहेगे। तद्नुसार विभाजन की डिक्री बावत प्रारंभिक डिक्री पारित कर बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार मांडल से मंगवाया जावें।

(सी.एल.शर्मा)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 11.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा